



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269305
CG-DL-E-12012026-269305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 22]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSA 22, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 22(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 45 में—

(क) उपनियम (7) में,—

(i) “, जिरकोनियम और सीजियम के” शब्दों के स्थान पर, “और जिरकोनियम के” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “, जिरकोनियम स्पंज और सीजियम धातु” शब्दों के स्थान पर, “और जिरकोनियम स्पंज” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (11) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(12) भारतीय खान व्यूरो, सीजियम कार्बोनेट के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के मूल्यों के आधार पर भारतीय रूपए में ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके सीजियम का औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा, अर्थात:—

- (क) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की औसत संदर्भ दर; और
- (ख) 1.23 का संपरिवर्तन कारक |” |

[फा. सं. एम .VI-16/47/2023-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी।— खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 279(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 486(अ) तारीख 21 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

G.S.R. 22(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 45,—

(a) in sub-rule (7),—

(i) for the words “, Zirconium and Caesium in”, the words “and Zirconium in” shall be substituted;

(ii) for the words “, Zirconium sponge and Caesium metal”, the words “and Zirconium sponge” shall be substituted;

(b) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(12) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Caesium in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for Caesium Carbonate for the latest available calendar year by multiplying such price with the following, namely:—

(a) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year; and

(b) the conversion factor of 1.23.”.

[F. No. M.VI-16/47/2023-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Note.—The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and last amended *vide* number G.S.R. 486(E), dated the 21st July, 2025.